मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1805

10.03.2025 को उत्तर के लिए

दादरा और नगर हवेली में पेड़ों की कटाई

1805. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में कितने पेड़ काटे गए हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई अनुमोदन लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन प्राधिकारियों ने ऐसी स्वीकृति प्रदान की है;

(ग) उन पेड़ों के लट्ठों के उपयोग का ब्यौरा क्या है और यदि उनका उपयोग नहीं किया गया है तो उन्हें कहां रखा गया है; और

(घ) क्या उक्त लट्ठों को बेचा गया है और यदि हां, तो लट्ठों की बिक्री की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन एवं वृक्ष संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन और वृक्ष संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी अवसंरचना हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 और राज्य वन अधिनियम और विनियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में विवरण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है।

इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 'दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1984' को संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन एवं दीव में वृक्षों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था तथा बाद में वर्ष 1999 में इसे दादरा एवं नगर हवेली तक विस्तारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पेड़ों की कटाई को धारा 9 के अनुसार विनियमित किया जाता है तथा पेड़ों को गिराने, काटने, हटाने या निपटाने की अनुमति दी जाती है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन प्राप्त होने पर ही पेड़ों को काटा गया है।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 से पिछले पांच वर्षों के दौरान दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1984 के तहत 21,402 पेड़ों और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 5289 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1984 के अंतर्गत, संबंधित उप वन संरक्षक, वनाधिकारी हैं और वृक्षों की कटाई की अनुमति देने के लिए सक्षम हैं।

(ग) और (घ) संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लकड़ियों के लट्ठों को दादरा एवं नगर हवेली के खानवेल, रुदाना और तलावली स्थित वन इमारती लकड़ी डिपो में संग्रहित कर रखा जाता है तथा समय-समय पर सार्वजनिक नीलामी के तहत बेचा जाता है। इन नीलामियों से प्राप्त राजस्व सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25) में विक्रय किए गए लकड़ियों के लट्ठों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

'दादरा और नगर हवेली में पेड़ों की कटाई' के संबंध में श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दिनांक 10.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1805 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दादरा एवं नगर हवेली में वर्ष 2022-23 से विक्रय किए गए लकड़ियों के लट्ठों का विवरण		
वर्ष	**मात्रा (क्यूबिक मीटर में)**	**बिड की कीमत (रुपये में)**
2024-25	1353.873	94,18,600.00
2023-24	4046.822	1,49,15,084.00
2022-23	2217.629	26,11,650.00
कुल	7,618.32	2,69,45,334.00

दमन एवं दीव में वर्ष 2022-23 से विक्रय किए गए लकड़ियों के लट्ठों का विवरण		
वर्ष	**मात्रा (क्यूबिक मीटर में)**	**बिड की कीमत (रुपये में)**
2024-25	-	-
2023-24	605.737	5,63,000.00
2022-23	1755.505	19,52,262.00
कुल	2,361.242	25,15,262.00

*****